ट्यूनिशिया के
साबेर रागौबी

अधिकारों के लिए
लेखन 2010

AMNESTY INTERNATIONAL

तत्काल आवाज उठायें

दुनिया के **लाखों लोगों के साथ** खड़े हों और उनके साथ मिलकर उन व्यक्तियों के समर्थन में आवाज उठायें, जो हर रोज मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ कहते हैं।

ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति को मांग करते हुए लिखें कि:

- ■ साबेर रागौबी की मौत की सजा को बदलें
- ■ सुनिश्चित करें कि जेल में उनके साथ मानवीय व्यवहार हो
- ■ उनके अलगाव को समाप्त करके उन्हें अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए
- ■ साबेर रागौबी एवं उनके साथ गिरफ्तार सभी व्यक्तियों के साथ फिर से निष्पक्ष मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए और यातना देकर एवं दुर्व्यवहार करके हासिल किसी भी साक्ष्य को अमान्य किया जाए।

लिखें:
President Zine El Abidine Ben Ali
Palais Présidentiel
Tunis, Tunisia

फैक्स: + 216 71 744 721 / 731 009
अभिवादन : महामहिम / Your Excellency

साबेर रागौबी को समर्थन में, फ्रांसीसी या अरबी भाषा में संदेश लिखें:

Je vous écris pour vous exprimer ma sympathie et pour vous donner du courage. Je pense à vous et milite pour que votre sentence soit commuée.

أكتب إليك كي أشد من أزرك وأتمنى لك الصبر والثبات. قلوبنا معك ولن نكف عن النضال من أجل تخفيف الحكم عليك.

(अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आपको लिखता/लिखती हूं एवं आपको हिम्मत देता/देती हूं। मैं आपके बारे में सोचता/सोचती हूं एवं आपकी सजा बदलने के लिए अभियान चलाऊंगा/चलाऊंगी।)

Saber Ragoubi
Prison de Mornaguia
1110 Gouvernorat de Manouba
Tunisie

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

www.amnesty.org/individuals-at-risk
अक्तूबर 2010
क्रम सूची: MDE 30/018/2010
Hindi

AMNESTY INTERNATIONAL

साबेर रागौबी के लिए तत्काल सक्रिय हों

तस्वीरः निजी कॉपीराइट

साबेर रागौबी को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद संबंधित आरोप में मुकदमा चलाकर मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि वे इस आरोप से इनकार करते हैं। उनका मुकदमा निष्पक्ष नहीं था एवं उन्हें ''अपराध स्वीकृति'' के आधार पर सजा सुनाई गई, जबकि उनका कहना है कि उन्हें यातना देकर इसके लिए मजबूर किया गया।

साबेर रागौबी को 29 अन्य लोगों के साथ दिसंबर 2006 में ट्यूनिश के करीब 40 किमी दक्षिण में सोलिमन शहर के निकट गिरफ्तार किया गया था। सभी 30 लोगों को सरकार को उखाड़ फेकने की साजिश रचने एवं आतंकवादी संगठन से जुड़े होने सहित आतंकवाद संबंधित अपराध के तहत आरोपित किया गया था। व्यक्तियों ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन पक्षपातपूर्ण मुकदमे के बाद उन्हें दोषी पाया गया। सिर्फ साबेर रागौबी को ही मौत की सजा सुनायी गई।

साबेर रागौबी को सुरक्षा बलों एवं सशस्त्र समूहों के बीच टकराव के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने वकीलों से बताया कि उन्हें ट्यूनिश में, आंतरिक मंत्रालय के सरकारी सुरक्षा विभाग के हिरासत में, एवं उसके बाद मुकदमे से पहले कारागार में यातना दी गई। अपने मुकदमे में, उन्होंने न्यायाधीश से कहाः ''मुझे मोरनागुईया जेल में यातना दी गई थी और मेरे सामने के तीन दांत टूट गये''। जबकि, अदालत ने इन अरोपों की पर्याप्त जांच नहीं की कि उन्हें और अन्य लोगों को यातना दी गई और ''अपराध स्वीकार'' करने के लिए दबाव बनाया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि साबेर रागौबी पर पक्षपातपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया। उदाहरण के तौर पर, उन पर उनके द्वारा एवं अन्य सह–प्रतिवादियों को यातना देकर हासिल जानकरी के आधार पर मुकदमा चलाया गया।

साबेर रागौबी की मौत की सजा को सन 2008 में ऊपरी अदालत में वैध ठहराया गया था। ट्यूनिशिया में सन 1991 के बाद से किसी को भी फांसी नहीं दी गई है, लेकिन मौत की कागार में खड़े कैदी गंभीर स्थिति में हैं। साबेर रागौबी को एकांत में रखा गया है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से मिलने एवं पत्राचार करने की इजाजत नहीं है।

साबेर रागौबी के पिता ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से बताया कि, ''मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाता है..... मैं उससे मिलकर उसका हाल जानना चाहता हूं।'' उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया कि उन्हें अपने बेटे के तकलीफ के बारे में कोई समाचार देने से इनकार किया जाता है।